न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 76/2024 G.C.M.S. No. 2024/294 दर्ज दिनांक : 14.08.2024

अपीलार्थिगण:

1. गणेशराम पुत्र श्री शेराराम
2. आनंदराम पुत्र श्री लिखमाराम
3. कमला पुत्री लिखमाराम
4. फुलीदेवी पत्नी लिखमाराम जातिगण सीरवी निवासीगण अटपड़ा तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. भंवरलाल पुत्र शेराराम जाति सीरवी निवासी डी 193 सरस्वती नगर नसरानी बायस्कोप के पीछे वाली गली जोधपुर जिला जोधपुर राजस्थान।
2. राजेन्द्र कुमार पुत्र लिखमाराम
3. घीसुलाल पुत्र शेराराम
4. जगदीश पुत्र शेराराम
5. गोपालकृष्ण पुत्र शेराराम जातिगण सीरवी निवासीगण अटबडा तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।
6. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत तहसील सोजत जिला पाली राज.

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी सोजत द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 65/2022 बअनवान भंवरलाल बनाम घीसुलाल में पारित आदेश दिनांक 10.07.2024

पैरोकार–

1. श्री जीवराज सिंह लखावत, धर्मीचन्द देवासी, लक्ष्मण मेघवाल, मोहित सांखला विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री एन0 के0 चौधरी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01
3. श्री जगदीश चौधरी विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 05 रेस्पोंडेन्ट।

निर्णय

दिनांक: 25.08.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के सहायक कलक्टर सोजत द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 65/2022 बअनवान भंवरलाल बनाम घीसुलाल वगैरह में पारित आदेश दिनांक 10.07.2024 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि रेस्पोडेन्ट भंवरलाल ने एक राजस्व वाद न्यायालय सहायक कलेक्टर सोजत के न्यायालय में अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट के तहत दिनांक 07.04.2022 को पेश किया। इस वाद के साथ ही रेस्पोडेन्ट भंवरलाल ने धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत एक 212 आर.टी. एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश किया जो राजस्व वाद संख्या 54/2022 कायम हुए तथा राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 65/2022 कायम हुए, रेस्पोडेन्ट भंवरलाल ने 212 के प्रार्थना पत्र में यह वर्णित किया की सरहद मौजा ग्राम अटबड़ा तहसील सोजत में प्रार्थी के पिता शेराराम जी की खातेदारी एवं कब्जासुदा कृषि भूमि खसरा नंबर 1417, 1418, 1419, 1421, 1422, 1423, 1424, 1427, 1428, 1430,

Scanned with OKEN Scanner

1431, 1432, 1433, 3180, 4027, 4028, 405, 4488, 4490, 4492, कुल खसरा 21 जिसका कुल रकबा 14.3200 हैक्टर है। इसके अलावा राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में और कृषि भूमि खसरा नंबर 1436, 1437, 1438, 1439, 1441, 1446, 1447, 1449, 1450, 1451, 1458, 3989, 4087, 4090, 4094, 4100, 4144, 4145, 4148, 4149 कुल खसरे 22 जिसका कुल रकबा 15.4900 हैक्टर है। रेस्पोडेन्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में आगे यह भी बताया है कि दिनांक 01.04.1973 को शेराराम जी ने अपने सभी पुत्रो के बीच बंटवाड़ा करके उक्त बंटवाड़े के अनुसार दिनांक 09.06.1975 को बंटवाड़ा का लिखत लिखा गया। इसके अनुसार सभी काबिज है, लेकिन उपरोक्त कृषि भूमि संयुक्त सामलाती रूप से दर्ज होने के कारण इसलिए विधिवत् रूप से बंटवाडा कराने के लिए अपीलांटगण को बंटवाड़ा कराने के लिए दिनांक 28.03.2022 को बंटवाड़ा करने से मना कर दिया तथा अन्य को बैचान करने की धमकीया दी। रेस्पोडेन्ट के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा का जारी किया जाना आवश्यक है। इस प्रार्थना पत्र का जवाब अपीलाण्टगण ने विधिवत् रूप से पैरा अनुसार न्यायालय में पेश कर दिया था तथा अपने जवाब मे अच्छी तरह से पैरा संख्या 02 मे ही यह बता दिया था कि उपरोक्त प्रार्थना पत्र में रेस्पोडेन्ट भंवरलाल ने अन्य रेस्पोडेन्टान घीसूलाल, जगदीश, गोपाल कृष्ण तथा राजेन्द्र कुमार सभी से Collusively (दुरभिसंधिकर) यह झूठा प्रार्थना पेश किया जिसका कोई कानूनी आधार नही था जबकि रेस्पोडेन्ट भंवरलाल ने मातहत अदालत के समक्ष जब प्रार्थना पत्र पेश किया उसमे केवल 20 खसरो का ही हवाला दिया जबकि कुल खसरे 21 बताये गए है। रेस्पोडेन्ट भंवरलाल ने खसरा नंबर 1429 का कही भी हवाला नही दिया गया तथा अपीलाण्टगण गणेशराम के भाई मृतक लिखमाराम तथा अपीलाण्ट आनंदराम व कमला के पिता लिखमाराम तथा अपीलाण्ट फुलीदेवी के पति लिखमाराम सभी अपीलाण्टगण का 1/6 हिस्सा प्रत्येक का 1/24, 1/24 हिस्सा बताया तथा अन्य सभी रेस्पोडेन्टान का 1/6, 1/6 हिस्सा बताया तथा रेस्पोडेन्ट राजेन्द्र का भी 1/24 हिस्सा बताया इसी तरह पेज नंबर 3 मे भी रेस्पोडेन्ट भंवरलाल ने कुल 22 खसरा बताये जबकि प्रार्थना पत्र में 20 खसरा का ही हवाला दिया गया है। रेस्पोडेन्ट भंवरलाल ने दो खसरे 1448 व 1449 को जानबूझकर छोड़ा गया है। इस तरह से अपने प्रार्थना पत्र मे कुल 3 खसरे जानबूझकर नही लिखे गये है। इसी तरह खसरा नंबर 1426 में 1/2 हिस्सा मृतक लिखमाराम का तथा इनके मरने के बाद अपीलाण्टगण कमला, फुलीदेवी, आनंदराम तथा रेस्पोडेन्ट राजेन्द्र कुमार सभी चारो का प्रत्येक का 1/8–1/8 हिस्सा तथा रेस्पोडेन्ट घीसूलाल का 1/2 हिस्सा बताया तथा लेकिन रेस्पोडेन्ट भंवरलाल ने प्रार्थना पत्र में यह भी बताया कि खसरा नंबर 1426 मे उसका कोई लेना देना नही है, तथा कोई अस्थाई निषेधाज्ञा नही लेनी है। यह स्वीकार किया तथा यह भूमि खसरा नंबर 1426 लिखमाराम व घीसूलाल की बतायी है। जिसमे सम्बंध में रेस्पोडेन्ट भंवरलाल ने बंटवाड़ा दिनांक 09.06.1975 का हवाला दिया है।

अपीलाण्टगण ने अपने जवाब में विस्तृत तौर पर बताया कि दिनांक 09.06.1975 को कोई बंटवाड़ा नहीं लिखा गया। बंटवाड़ा फर्जी बताया है तथा उस पर शेराराम के हस्ताक्षर नहीं है कोई तारीख नहीं लखी गई है जो बंटवाड़ा गलत भ्रामक संदिग्ध व फर्जी है। जिसे आज दिन तक प्रार्थना पत्र पेश करने के बाद भी मूल बंटवाड़ा को मातहत न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है तथा खसरा नंबर 1449, 1447, 1433, 1419, मे से एक हैक्टर तथा खसरा नंबर 4148, 4094, कुल 6 खसरे रकबा 4.5800 हैक्टर की भूमि रेस्पोडेन्ट भंवरलाल ने अपने अकेले की होना बताया है, जो पूर्णतया गलत है। इस तरह से सम्पूर्ण प्रार्थना पत्र के सारे तथ्य झूठे व गलत है, केवल अपीलाण्टगण को परेशान करने हेतू यह वाद पेश किया है जबकि अपीलाण्टगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र मे स्पष्ट रूप से बताया कि रेस्पोडेन्ट भंवरलाल के पिता तथा

Scanned with OKEN Scanner

अपीलाण्ट गणेशराम के पिता शेराराम ने अपने जीवनकाल में केवल केसरीदेवी से ही विवाह किया था तथा हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत केसरीदेवी ही शेराराम जी की धर्मपत्नी थी, केसरीदेवी तथा शेराराम जी के दाम्पत्य जीवन से केवल दो पुत्र लिखमाराम तथा गणेशराम ही पैदा हुए थे, रेस्पोडेन्टान भंवरलाल, घीसूलाल, जगदीश, गोपालकृष्ण केसरीदेवी के जायदा पुत्र नही है। केसरीदेवी के जीवनकाल मे शेराराम ने मंगीदेवी पुत्री उम्मेदराम जाति सीरवी निवासी अटबड़ा को शेराराम ने विवाह के बिना अपने घर मे रखा तथा उस मंगीदेवी से चार पुत्र भंवरलाल, घीसूलाल, जगदीश, गोपालकृष्ण पैदा हुए जिन चारो का हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत कोई हिस्सा नही है कानूनन शेराराम के उतराधिकारी नही हो सकते है। इसलिए इनको बंटवाड़ा कराने का कोई कानूनी अधिकार नही है। शेराराम ने फर्जी कोई कानूनीविवाह मंगीदेवी से नही किया तथा केसरीदेवी से शेराराम से तीन पुत्रीया ढगलीदेवी, भूरीदेवी, राधादेवी भी पैदा हुई थी। उनमे से ढगलीदेवी, भूरीदेवी का देहान्त हो चुका है। राधादेवी आज भी जीवित है। इन सभी को जानबूझकर आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद भी आवश्यक पक्षकार वादी/प्रार्थी अथवा प्रतिवादी/अप्रार्थी नही बनाया तथा मृत्तक ढगलीदेवी व भूरीदेवी के वारिसान कमला, सुशीला, दुर्गा तथा पुत्र सुरेन्द्र को भी जानबूझकर पक्षकर नही बनाया जो सभी शेराराम के विधिक वारिसान है। जो धारा 8 हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी के वारिसान है इसलिए उन्हे आवश्यक पक्षकार होने के बाद भी पक्षकार नही बनाया Non Joinder OF Neccesary Parties के अभाव में भी इनका प्रार्थना पत्र चलने लायक नही होने के बाद भी खारिज होने के लायक था लेकिन मातहत अदालत द्वारा उपरोक्त अपीलाधीन आदेश मे दिनांक 10.07.2024 में कोई कानूनी विवेचन नहीं करके, रेस्पोडेन्ट भंवरलाल द्वारा बताए खसरो पर कोई कब्जा काश्त नही होने के बावजूद भी तथा रेस्पोडेन्ट भंवरलाल का कोई प्रथम दृष्टया मामला नही होते हुए भी तथा सुविधा का संतुलन भी भंवरलाल के पक्ष मे नही मे नही होते हुए भी तथा अपरिमिति क्षति भी नही होते हुए भी तीनो बिन्दु भंवरलाल के विरूद्ध होते हुए भी जानबूझकर रेस्पोडेन्ट भवरलाल का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गलत तरीके से अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है तथा आदेश मे किसी खसरे तथा हिस्से का हवाला नही होते हुए भी आदेश किया है। अपालींट का जबाव पढने मात्र से स्पष्ट साबित है कि भंवरलाल का प्रार्थना पत्र खारिज करना था, जो जानबूझकर बहस एवं जबाव प्रार्थना पत्र को नजर अंदाज करते हुए न्यायिक निर्णय को भी नजर अंदाज करते हुए दिनांक 10.07.2024 को आदेश पारित किया जो खारिज किए जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में रेस्पोंडेंट द्वारा वादपत्र व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादग्रस्त आराजीयात ग्राम मौजा अटपड़ा में स्थित कृषि भूमि खाता सं0 317, 320, व 319 में दर्ज खसरा नंबरान के मौके यथास्थिति बनाये रखने एवं विशिष्ठ भू–भाग का बेचान, रहन एवं अन्य हस्तान्तरण नहीं करने हेतु उभयपक्षकारान को पाबंद किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई हैं।

Scanned with OKEN Scanner

2. अपीलांट द्वारा मुख्य रूप से यह उज्र लिया गया है कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा वादग्रस्त भूमि के खातेदार मूल पुरूष शेराराम के सभी वारिशान को पक्षकार नहीं बनाया गया। रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। नॉन जॉइन्डर नेशेशरी पार्टीज के अभाव में रेस्पोडेन्ट संख्या 01/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल अपास्त है।

3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं अपीलाधीन आदेश के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि वादस्थ भूमि संयुक्त कब्जे काश्त की अविभाजित कृषि भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का विस्तृत विवेचन कर अपीलाधीन आदेश द्वारा उभयपक्षकारान को ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया है। अर्थात यह स्पष्ट है कि सभी सहखातेदारान को पाबंद किया गया है न कि केवल अपीलांट को। वाद विचारण के दौरान वादग्रस्त आराजीयात के भू–अभिलेख व मौके की संरक्षा किया जाना न्यायालय का दायित्व है। ताकि पक्षकारान के मध्य अनावश्यक विवाद व प्रकरण में अतिरिक्त पेचिदगियां उत्पन्न नहीं हों। विधि की यही मंशा रही है कि जहां पक्षकारों के मध्य विवादग्रस्त भूमि के बाबत हक व हकूकों का निर्धारण शेष हों, ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी में अनावश्यक रूप से आवृति नहीं बढ़ने की संभावना का ध्यान रखतें हुए आराजी जैर की सुरक्षा एवं संरक्षा किया जाना अपरिहार्य हो जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि की उपरोक्त मंशा को ध्यान में रखते हुए व पक्षकारों के मध्य दावे के निस्तारण तक अनावश्यक पेचिदगियों उत्पन्न नहीं होने की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए ताफैसला वाद आराजी जैर के बाबत मौके यथास्थिति बनाये रखने एवं विशिष्ठ भू–भाग का बेचान, रहन एवं अन्य हस्तान्तरण नहीं करने हेतु उभयपक्षकारान को पाबंद किया गया।

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि अपील अपीलांट्स बखूबी साबित नहीं हुई हैं तथा अपीलाधीन आदेश पुष्टि योग्य है। अतः अपील अपीलांट खारिज करते हुए अपीलाधीन आदेश की पुष्टि किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सोजत द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 65/2022 बअनवान भंवरलाल बनाम घीसुलाल वगैरह में पारित आदेश दिनांक 10.07.2024 की पुष्टि की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **25.08.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner